

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बाड़मेर

पीठासन अधिकारी श्री रोहित चौहान (आर.एस.)

अंतिम डिक्री

वादीगण	अनवान	प्रतिवादीगण
पुरखाराम पुत्र आदाराम जाति जाट निवासी जालीपा आगौर तहरसील एवं जिला बाड़मेर	बनाम	1. रेखाराम पुत्र आदाराम 2. कानाराम पुत्र सुखाराम 3. पेमाराम पुत्र सुखाराम 4. वीरभाराम पुत्र सुखाराम 5. ताजाराम पुत्र सुखाराम 6. महाराम पुत्र रासिगाराम 7. मालाराम पुत्र रासिगाराम 8. श्रीमती आसुदेवी पत्नी मालाराम 9. जुगताराम पुत्र खूमाराम 10. राजस्थान सरकार माईन्स व भिन्नरल लि 0 बाड़मेर 11. तहरसीलदार बाड़मेर

दावा बाबत 53, 188 रा.का.अ.

मुकदमा नम्बर :- 52/2014

निर्णय दिनांक :- 15.02.2022

वादी के अधिवक्ता उपस्थित एवं प्रतिवादी संख्या 01, 03 से 05 एवं 09 के अधिवक्ता उपस्थित प्रतिवादी संख्या 02, 06 से 08 अनुपस्थित में इस वाद में आज तारीख 15.02.2022 को श्री रोहित चौहान सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बाड़मेर के समक्ष अन्तिम निपटार के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और अन्तिम डिक्री निम्नप्रकार दी जाती है कि :-

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाकर तहरसीलदार बाड़मेर से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के मद्देनजर वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य मौजा जालीपा आगौर पटवार क्षेत्र वूली तहरसील व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 53, 54, 55, 262/56 कुल रकबा 145.13 बीघा भूमि में से वादी की भूमि का विभाजन कर लगान का निर्धारण निम्नप्रकार किया जाता है:-

क्र. सं	नाम खातेदारान	खसरा संख्या	रकबा (बीघा में)	किरम	लगान	बरग
1	पुरखाराम पुत्र आदाराम कौम जाट सा0 देह खातेदार	262/56	36.08 बीघा	बादो	2.18	पीला
2	रेखाराम पुत्र आदाराम कौम जाट सा0 देह खातेदार रहन PNB शाखा बाड़मेर	262/56, 262/56	25.00 11.08	बादो बादो	1.50 0.68	गुलाबी
		02	36.08		2.18	
3	कानाराम,पेमाराम,वीरभाराम, ताजाराम पि0 सुखाराम कौम जाट सा0 देह खातेदार	262/56	24.05	बादो	1.45	आरामांगी
4	गोहवताराम थानाराम पि0 जुगताराम चतरुदेवी पत्नी जुगताराम कौम जाट सा0 देह खातेदार	53	0.02	गै मु ढाणी	1.41	हरा
		54	0.16	गै मु ढाणी		
		55	0.02	गै मु ढाणी		
		262/56	23.06	बादो		
		4	24.06		1.41	
5	महाराम मालाराम पि0 रासिगाराम 2/3 आसुदेवी पत्नी मालाराम 1/3 कौम जाट सा0 देह खातेदार	53	0.04	गै मु ढाणी	1.44	बैंगनी
		55	0.02	गै मु ढाणी		
		262/56	24.00	बादो		
		03	24.06		1.44	

तहरसीलदार बाड़मेर तदनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद कर नक्शा में तरमीम करावें। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें।

यह आज तारीख 15.02.2022 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।



(रोहित चौहान)  
सहायक कलक्टर  
उपखण्ड (अधीन) बाड़मेर सहायक  
कलक्टर, बाड़मेर

वाद के खर्चे

वादी	रुपया	प्रतिवादी	रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लोडर की फीस	
4. ..... रूपय पर प्लोडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय		आदेशिका की तम्बोज	
6. कर्मिन्तर की फीस		कर्मिन्तर की फीस	
7. आदेशिका की तम्बोज			
जाट		जाट	